

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वें तल, "सी" - विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(09)/स.अ.ता. प्र.02/चतुर्थ सत्र (चतुर्थ-भाग) 2023/दिविस/श.वि./4899-4900 दिनांक: 14/12/2023

सेवा में,

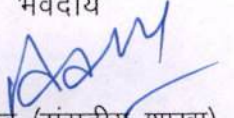
- उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय: सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ-भाग) 2023 अतारांकित / तासंकित प्र० सं. 02
माननीय विधायक श्री अपिन्दर सिंह जून् दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ सहित)
दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.


उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 02

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर															
क	बिजवासन क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी सड़कों व कॉलोनियों को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है;	दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:- बिजवासन क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित सड़कों व कॉलोनियों को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है:-															
ख	क्या नांगल दवे त गाँव में दिल्ली विकास प्राधिकरण सामुदायिक भवन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No</th><th>Name of Road/Sector</th><th>Pocket/Village</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sector 08 Dwarka</td><td>B,C, D Block</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sector 09 Dwarka</td><td>DDA Pkt.-1 and DDA Pkt-2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vasant Kunj</td><td>C-5, C-6, C-7, C-8 and C-9.</td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td>Nangloi Dewat Village</td></tr> </tbody> </table>	S.No	Name of Road/Sector	Pocket/Village	1	Sector 08 Dwarka	B,C, D Block	2	Sector 09 Dwarka	DDA Pkt.-1 and DDA Pkt-2	3	Vasant Kunj	C-5, C-6, C-7, C-8 and C-9.	4		Nangloi Dewat Village
S.No	Name of Road/Sector	Pocket/Village															
1	Sector 08 Dwarka	B,C, D Block															
2	Sector 09 Dwarka	DDA Pkt.-1 and DDA Pkt-2															
3	Vasant Kunj	C-5, C-6, C-7, C-8 and C-9.															
4		Nangloi Dewat Village															
ग	क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद मोहम्मदपुर, सालापुर खेड़ा व रंगपुरी गाँवों में 'सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' (डीएसटीपी) बनाए जाने हेतु दिल्ली जल बोर्ड को दिए जाने के लिए कोई भूखंड चिह्नित किया है;	क से ड दिल्ली विकास प्राधिकरण:- दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि. प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)															
घ	क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा महिपालपुर के के-ब्लॉक में बनाए जा रहे सामुदायिक केंद्र को रोक दिया है, यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर विचार कर रहा है; और																
ड	क्या पालम कॉलोनी, राजनगर में 'फायर इंस्टीट्यूट' के समीप प्लॉट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दो मंजिला सामुदायिक भवन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है																

912

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

दिनांक: 2 अगस्त, 2018

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वी.ए.ए./789

*Main letter
in English language
was already been received
May place in
the concern
file.*

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

10/8/18

DS-PC विषय: छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को
उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

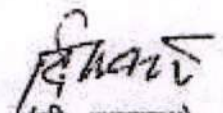
उपयुक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र रा. एफ 53
(यू.एस.क्यू)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का
अवलोकन करें, जिसकी सदन से एफ यू.एस.क्यू/बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली
असेंबली/यू.डी./डी-6983-43(यू.एस.क्यू-80), 6925 34 (यू.एस.क्यू, 78), 6977 80(यू.एस.
क्यू, 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू, 79) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फरस
डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार
करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के
अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के
संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की
प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक
संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात्
प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की
शक्तियाँ हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित
है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रसारण के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए
सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव